भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4312
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

सरकारी कार्यालयों में शिशुगृह सुविधा

4312. **श्री समीरुल इस्लामः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्यात्मक शिशुगृह सुविधाएं उपलब्ध हैं;
(ख) इन सुविधाओं के कामकाज के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) केंद्र सरकार के उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें शिशुगृह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इसके क्या कारण है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार हैं। अतः, कोई भी जानकारी केंद्रीय स्तर पर संगृहीत नहीं जाती है।

हालांकि, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है, इसलिए केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए केंद्र सरकार ही उपयुक्त सरकार है। यह संहिता दिनांक 21.11.2025 से कार्यान्वित की जा रही हैं।
